

कार्यालय सभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता-किशोरपुरा कोटा-09 (राज0), ईमेल:-ccffdp.kota@gmail.com दूरभाष:- 0744-2500194

क्रमांक:एफ13(वन संरक्षण)/संमुवसं/2018/ 1529 दिनांक : 15/2/18

निमित्त,


उप वन संरक्षक
कोटा।

विषय :- Land For Extention of Bhamashah Krishi Upaj Mandi Simit
प्रसंग :- आपका पत्र संख्या एफ ()उवसं/तक/2018/1437 दिनांक
09.02.2018

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में आपने भामाशाह कृषि उपज मण्डी समिति के विस्तार हेतु कुल 96 है0 वनभूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव पार्ट-II की पूर्ति कर इस कार्यालय को अग्रेषित किया है इस प्रकरण में निम्न बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें:-

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार इस क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट स्थापित किया जाना है, तो क्या अन्य कार्य के लिए इस क्षेत्र की वनभूमि प्रत्यावर्तन/मांग उल्लंघन की श्रेणी में है? प्रस्ताव अग्रेषित करने की वस्तुस्थिति स्पष्ट करें।
2. रिको द्वारा पूर्व वर्षों में कृषि उपज मण्डी समिति के लिए कब भूमि आवंटित की गयी तथा मण्डी के अवैध कब्जे में वन विभाग की 22 है0 भूमि होने की अथवा एफसीए के उल्लंघन की जानकारी विभाग को कब आयी तथा वन विभाग द्वारा कब क्या कार्यवाही की गयी? इस क्षेत्र के सुरक्षाकर्मी यथा वनरक्षक, वनपाल और क्षेत्रीय वन अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारण क्यों नहीं किया गया अवगत करावें।

उपरोक्त वस्तुस्थिति के संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट मय ग्रीन बेल्ट के सापेक्ष एवं कराये गये कार्य (मिलिट्री) सहित नक्शे पर स्पष्ट करते हुए शीघ्र भिजवावे।



(इन्द्राज सिंह)

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
कोटा

क्रमांक:एफ13(वन संरक्षण)/संमुवसं/2018/

प्रतिलिपि सचिव, सेठ भामाशाह कृषि उपज मण्डी समिति, अन्नतपुरा कोटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

दिनांक :

501-
(इन्द्राज सिंह)

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
कोटा